



सत्यमेव जयते

सी० सं० ४० (१६) / निबन्धन / २००२-०३ / क० / के० सं० १० /

दिनांक ११.३.२००३

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

भैंसाली ग्राउण्ड, मेरठ।


विषय : आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-कक में निबन्धान हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता परदादा परदादा सूकुलवातल साहाइ

नलकाफा रीड ३१०९ अडर वलनवाड
दिनांक ३०-१०-२००२ को न्यास/संस्था-ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम

१९६१ की धारा १२-कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में प्रतीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समय के भीतर दिया है। इसलिये निबन्धन आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-कक के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गए धारा १२-कक के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या ३९१०८ पर की गई है।



(प्रमोद कुमार)
आयकर आयुक्त
मेरठ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. न्यास/संस्था परदादा परदादा सूकुलवातल साहाइ को कृपया यह बतारें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण के साथ स्याई लेखा संख्या भी बतायें।
2. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/वार्ड/सर्जिल -१ को को इस आशय के साथ कि न्यास/संस्था से लेखा विवरण, संगठन के विलेख / स्मृति-पत्र की प्रति आदि आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।
3. अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त रुमाल को को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रमोद कुमार)
आयकर अधिकारी (लेखनीकी)
कृते- आयकर आयुक्त, मेरठ।